रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102020-222262
CG-DL-E-06102020-222262

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 500] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 1, 2020/आश्विन 9, 1942
No. 500] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 1, 2020/ASVINA 9, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2020

सा. का. नि. **612(अ).—**केंद्रीय सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 10 और धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्

अध्याय – 1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2020 है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना – ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पद लागू होंगे।

परंतु यह कि ये नियम बोर्ड के ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जो इन नियमों के प्रारंभ के समय या तो प्रतिनियुक्ति के आधार पर या अल्पकालिक संविदा के आधार पर अपने-अपने पद धारण किए हुए हैं।

3. परिभाषाएं – (I) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) अभिप्रेत है;

(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है -

(i) केंद्रीय सरकार के अधीन समूह 'क' के समतुल्य ऐसे सभी पदों की बाबत अध्यक्ष जिन पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड द्वारा सीधी भर्ती की जाती है;

(ii) केंद्रीय सरकार के अधीन समूह 'ख' और समूह 'ग' के समतुल्य ऐसे सभी पदों की बाबत "सचिव", जिन पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड द्वारा सीधी भर्ती की जाती है, अभिप्रेत है;

(ग) "अनुशासनिक प्राधिकारी" से अभिप्रेत है –

(i) इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में क्रम संख्या 1 से 5 में विनिर्दिष्ट समूह 'क' के समतुल्य पदों की बाबत अध्यक्ष;

परंतु यह कि केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे ऐसे अधिकारियों की बाबत लागू होंगे जो अपने-अपने मूल संगठन में कर्मचारियों की ऐसी श्रेणी पर सुसंगत नियम या विनियम लागू होते हैं;

(ii) इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में क्रम संख्या 6 से 12 में विनिर्दिष्ट पदों की बाबत सचिव;

परंतु यह कि केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे ऐसे अधिकारियों की बाबत लागू होंगे जो अपने-अपने मूल संगठन में कर्मचारियों की ऐसी श्रेणी पर सुसंगत नियम या विनियम लागू होते हैं;

(घ) "रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी" से ऐसे चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है जिनके पास भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 2 के खंड (ज) में यथा-परिभाषित मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान चिकित्सा अर्हता है और जिसका नाम राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया है;

(ङ) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(च) 'कर्मचारीवृंद' में बोर्ड में पूर्ण कालिक आधार, विदेशी सेवा अवधि पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर अथवा स्थायी आमेलन या अल्पकालिक संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए सभी श्रेणियों के अधिकारी और कर्मचारी, दोनों शामिल हैं;

(छ) 'अल्पकालिक संविदा आधार' से बोर्ड में सीमित अवधि के लिए संविदा के आधार पर निजी क्षेत्र से गैर-सरकारी संगठनों से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति की पद्धति अभिप्रत है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं किए गए हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमश: अधिनियम के अधीन उनके हैं।

अध्याय – 2

स्वीकृत संख्या

4. बोर्ड के कर्मचारीवृंद की स्वीकृत संख्या - (1) बोर्ड में विभिन्न वेतनमानों में कर्मचारीवृंद की स्वीकृत संख्या अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (2) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा यथा-अनुमोदित होगी।

(2) पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, उनसे उपाबद्ध वेतन मेट्रिक्स में स्तर या वेतनमान जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

5. **भर्ती और नियुक्ति** – (1) बोर्ड में स्वीकृत पदों पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति की जाएगी।

(2) प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रारंभ में तीन वर्ष के लिए होगी, जिसे बाद में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी सामान्य दिशा-निर्देशों के अनुसार बोर्ड के विवेक के अधीन एक-एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

परंतु यह कि यदि बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी की सेवाएं अब अपेक्षित नहीं हैं तो प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे ऐसे अधिकारी अथवा कर्मचारी को उसके प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी होने से पहले भी उसके मूल विभाग अथवा संगठन को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(3) स्वीकृत पदों पर संविदा आधार पर की जाने वाली नियुक्ति प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी जिसे बोर्ड के विवेक के अधीन एक बार में एक-एक वर्ष करके और दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।

परंतु यह कि यदि बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बोर्ड में संविदा आधार पर कार्य कर रहे किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी की सेवाएं अब अपेक्षित नहीं हैं तो उसकी की अवधि कार्यकाल को बगैर कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त अथवा कम किया जा सकता है।

अध्याय – 3

वेतन और भत्ते

6. **वेतन निर्धारण** - (1) अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों का वेतनमान वे होंगे जो उसके स्तंभ (4) में और ऐसे पदों के संबंध में वेतन निर्धारण की रीति वे होंगे और भत्ते वे होंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) उक्त पदों के लिए चिकित्सा सुविधाएं के होंगी जो अध्याय 5 के उपबंधों के अनुज्ञेय हैं।

(3) केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार तत्स्थानी वेतनमानों में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारीवृंद को भी तदनुसार अनुज्ञेय होंगे।

अध्याय – 4

वार्षिक मूल्यांकन, अनुशासनिक कार्यवाही और शास्तियां

7. **गोपनीय रिपोर्टें** – बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के मामले में तत्स्थानी वेतनमानों में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के संबंध में ऐसे अनुदेश जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए हैं, लागू होंगे।

8. **अनुशासनिक कार्यवाही और शास्तियों का अधिरोपण** - (1) आचरण, अनुशासन और शास्तियों के अधिरोपण के मामले में केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 और केंद्रीय सिविल सेवा (नियंत्रण, वर्गीकरण और अपील) नियम, 1965 और केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेश बोर्ड द्वारा उपयुक्ततः अपनाए जाएंगे।

(2) प्रत्येक पद के संबंध में अनुशासनिक प्राधिकारी नियम 3 के खंड (ग) के निबंधनों के अनुसार करेंगे।

अध्याय 5

चिकित्सीय सुविधाएँ

9. अनुसूची में विनिर्दिष्ट बोर्ड के ऐसे अधिकारी और कर्मचारी स्वयं, अपने आश्रितों और घोषित परिजनों के लिए चिकित्सीय उपचार प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे जो तत्स्थानी वेतनमान में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को अनुज्ञेय है।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनार्थ "परिवार" शब्द का वही अर्थ है जो केंद्रीय सेवा (चिकित्सीय परिचर) नियम,1944 में है।

10. **बहिर्गामी चिकित्सीय उपचार -** (1) बहिर्गामी चिकित्सीय व्यय की प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय या वर्ष की 1 जनवरी की स्थिति के अनुसार एक माह के वेतन (मूल वेतन के साथ मँहगाई भत्ता), इनमें से जो भी कम हो, तक सीमित होगा।

(2) चिकित्सीय प्रतिपूर्ति के दावे के समर्थन में एक रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक का पर्चा और उपचार तथा दवाओं की खरीद के मूल नकद मेमो या बिलों को लगाना होगा।

(3) वर्ष के दौरान हुई वेतनवृद्धि या प्रोन्नति से प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को सीमा प्रभावित नहीं होगी।

(4) वर्ष के दौरान कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की वार्षिक हकदारी यथानुपात आधार पर सीमित होगी।

(5) बोर्ड द्वारा अनुरक्षित किया गया पैनल के प्राधिकृत चिकित्सीय परिचरों से बहिर्गामी उपचार प्राप्त किया जाएगा।

11. **अस्पताल में भर्ती होने पर चिकित्सीय उपचार -** (1) बहिर्गामी उपचार के प्रयोजनार्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकृत अस्पतालों में चिकित्सीय उपचार के लिए हकदार होंगे और इस प्रयोजनार्थ उपचार लागत जिसके अंतर्गत अस्पताल वास सुविधा, नर्सिंग होम की सुविधा और अस्पताल के अन्य प्रभार भी है, तत्स्थानी वेतनमान में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू हैं जो केंद्रीय सेवा (चिकित्सीय परिचर) नियमावली, 1944 के उपबंधों के अनुसार होंगी।

(2) उप-नियम (1) के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत अस्पताल वही होंगे जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं जिन्हें केंद्रीय सेवा (चिकित्सीय परिचर) नियम, 1944 द्वारा विनियमित किया गया है।

(3) बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने वाले किसी सरकारी कर्मचारी की दशा में, ऐसे कर्मचारी के पास बोर्ड में कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सरकारी सेवा में रहते हुए मिलने वाली चिकित्सीय सुविधा लेने या उप-नियम (1) और (2) में निर्दिष्ट चिकित्सीय सुविधा लेने का विकल्प होगा।

(4) आपातकालीन की दशा को छोड़कर केवल प्राधिकृत चिकित्सीय परिचरों की सलाह पर ही प्राधिकृत अस्पतालों में उपचार करवाया जा सकेगा।

अध्याय 6

सरकारी विदेशी दौरे

12. अनुसूची में विनिर्दिष्ट बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों द्वारा सरकारी विदेशी दौरा बोर्ड के अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य या अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा।

13. सरकारी दौरा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार नियम 12 के अधीन विनियमित होगा।

अध्याय 7

आवास या आवासीय सुविधाएँ

14. (1) शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, संपदा निदेशालय के दिनाँक 11 अक्तूबर, 2000 का.ज्ञा. सं. 12035/44/92-पीओएल.11 के अनुदेशों के निबंधनों में सरकारी विभागों या मंत्रालय से प्रतिनियुक्ति के

आधार पर बोर्ड में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को उन्हें मिले हुए सामान्य पूल के आवास को रखे रहने दिया जाएगा।

परंतु यह कि ऐसे अधिकारी और कर्मचारी, जिनके पास सामान्य पूल के आवास नहीं हैं, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के समकक्ष वेतनमान में आहरित वेतन के तत्स्थानी मकान किराया भत्ता हेतु पात्र होंगे।

(2) बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू अखिल भारतीय सेवाएं (मकान किराया भत्ता) नियम, 1977 द्वारा शासित होंगे।

अध्याय 8

विविध

15. भविष्य निधि - (1) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी अपने मूल मंत्रालय या विभाग या संगठन में लागू भविष्य निधि योजना द्वारा शासित होते रहेंगे।

(2) बोर्ड ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों से भविष्य निधि के लिए अंशदान की वसूली करेगा और तुरंत उक्त राशि को उसके मूल मंत्रालय या विभाग या संगठन, जैसी भी स्थिति हो, को भेज देगा और देरी से भेजने के कारण होने वाली हानि बोर्ड द्वारा वहन की जाएगी।

(3) केन्द्रीय सरकार के अलावा किसी अन्य संगठन से प्रतिनियुक्ति पर आए बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी अपने मूल मंत्रालय या विभाग या संगठन में उपलब्ध पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ, यदि कोई हो, प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

16. प्रशिक्षण - (1) बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना अपेक्षित होगा जो बोर्ड द्वारा विनिश्चय किया गया हो।

(2) प्रशिक्षण की अवधि के दौरान कदाचार के लिए आरोपित बोर्ड के किसी अधिकारी या कर्मचारी को प्रशिक्षण से वापस बुलाया जा सकता है और वह उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई या शास्ति का भागी होगा, जैसा बोर्ड के नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझें।

17. सेवा की अन्य शर्तें - बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सेवा की अन्य शर्तें, जिन्हें इन नियमों के उपबंधों में अभिव्यक्त नहीं किया गया है, वही होंगी जो केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा आहरित तत्स्थानी वेतनमान के लिए अनुज्ञेय हैं।

18. शिथिल करने की शक्ति - यदि इन नियमों के प्रावधानों के किसी भी उपबंधों के संचालन में कोई कठिनाई आती है, तो केंद्रीय सरकार ऐसे उपबंधों के संचालन को शिथिल कर सकती है।

अनुसूची

[नियम 3 (1) (ङ), 4 (2), 6 (1), 9, 11 (1) और 12 देखें]

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स या वेतनमान में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत्त व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।	भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन/प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. सलाहकार	* चार (04) (2020) * कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'क' पद के समतुल्य	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 14 (144200-218200 रु.)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति जिसके न हो सकने पर अल्पकालिक संविदा के आधार पर	जो केन्द्रीय सरकार में सदृश पदधारण किए हुए हों (या) जो संयुक्त सचिव, भारत सरकार या उसके समतुल्य पद पर नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हों जिनके पास वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 'क' (131100-216600 रु.) में चार वर्ष का अनुभव हो (या) जिनके पास वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 (123100-215900 रु.) के पद पर नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् आठ वर्ष का अनुभव हो।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
2. संयुक्त सलाहकार	* चार (04) (2018) * कार्य भार	समूह 'क' पद के समतुल्य	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 13 (67700-208700रु.)	चयन	लागू नहीं होता	-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति जिसके न सकने पर सार्वजनिक या निजी क्षेत्रों से अल्पकालिकसंविदा के आधार पर	जो केन्द्रीय सरकार में सदृश पदधारण किए हुए हों (या) ऐसे पदधारी जिनके पास नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

	के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है									12 (78800-209200 रू.) में पांच वर्ष का अनुभव हो।		
3. उप निदेशक	* चार (04) (2020) * कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'क' पद के समतुल्य	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 11 (67700-208700रु.)	प्रवरण	लागू नहीं होता	-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति जिसके न सकने पर सार्वजनिक या निजी क्षेत्रों से अल्पकालिकसंविदा के आधार पर	जो केन्द्रीय सरकार में सदृश पदधारण किए हुए हों (या) ऐसे पदधारी जिनके पास नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-177500 रू.) में पांच वर्ष का अनुभव हो।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
4 सहायक निदेशक	* दो (02) (2020) * कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'क' पद के समतुल्य	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 10 (56100-177500 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	_	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति जिसके न सकने पर सार्वजनिक या निजी क्षेत्रों से अल्पकालिकसंविदा के आधार पर	जो केन्द्रीय सरकार में सदृश पदधारण किए हुए हों (या) ऐसे पदधारी जिनके पास नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 (53100-167800 रू.) में पांच वर्ष का अनुभव हो।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
5. प्रधान निजी सचिव	* एक (01) (2020) * कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'क' पद के समतुल्य	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 8 (47600-151100 रु.)	चयन	लागू नहीं होता	-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति जिसके न सकने पर सार्वजनिक या निजी क्षेत्रों से अल्पकालिकसंविदा के आधार पर	जो केन्द्रीय सरकार में सदृश पदधारण किए हुए हों (या) ऐसे पदधारी जिनके पास नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रू.) में पांच वर्ष का अनुभव हो।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
6. निजी सचिव	* नौ (09) (2020)	समूह 'ख' पद के समतुल्य	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 6 (35400-112400 रु.)	चयन	लागू नहीं होता	-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति जिसके न सकने पर सार्वजनिक या निजी क्षेत्रों से अल्पकालिकसंविदा के आधार	जो केन्द्रीय सरकार में सदृश पदधारण किए हुए हों (या) ऐसे पदधारी जिनके पास	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

	* कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है								पर	नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200- 92300 रू.) में पांच वर्ष का अनुभव हो।		
7. बेंच अधिकारी	* एक (01) (2020) * कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'ख ' पद के समतुल्य	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6 (35400-112400 रु.)	चयन	लागू नहीं होता	-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति जिसके न सकने पर सार्वजनिक या निजी क्षेत्रों से अल्पकालिकसंविदा के आधार पर	जो केन्द्रीय सरकार में सदृश पदधारण किए हुए हों (या) ऐसे पदधारी जिनके पास नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200- 92300 रू.) में पांच वर्ष का अनुभव हो।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
8. लेखापाल	* एक (01) (2020) * कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'ख ' पद के समतुल्य	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6 (35400-112400 रु.)	चयन	लागू नहीं होता	-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति जिसके न सकने पर सार्वजनिक या निजी क्षेत्रों से अल्पकालिकसंविदा के आधार पर	जो केन्द्रीय सरकार में सदृश पदधारण किए हुए हों (या) ऐसे पदधारी जिनके पास नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200- 92300 रू.) में पांच वर्ष का अनुभव हो।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
9. निजी सचिव	* छह (06) (2020) * कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'ख ' पद के समतुल्य	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6 (35400-112400 रु.)	चयन	लागू नहीं होता	-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति जिसके न सकने पर सार्वजनिक या निजी क्षेत्रों से अल्पकालिकसंविदा के आधार पर	जो केन्द्रीय सरकार में सदृश पदधारण किए हुए हों (या) ऐसे पदधारी जिनके पास नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200- 92300 रू.) में पांच वर्ष का अनुभव हो।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
10. रोकड़िया	* एक (01)। (2020)	समूह 'ग' पद के समतुल्य	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 4 (25500-81100 रु.)	चयन	लागू नहीं होता	-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति जिसके न सकने पर सार्वजनिक या निजी क्षेत्रों से अल्पकालिकसंविदा के आधार पर	जो केन्द्रीय सरकार में सदृश पदधारण किए हुए हों (या) ऐसे पदधारी जिनके पास नियमित आधार पर	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

	* कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है									वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 (21700- 69100 रू.) में पांच वर्ष का अनुभव हो।		
11. सहायक-सह-डैटा एंट्री ऑपरेटर	* छह (06)। (2020) * कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'ग' पद के समतुल्य	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 4 (25500-81100 रु.)	चयन	लागू नहीं होता	-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति जिसके न सकने पर सार्वजनिक या निजी क्षेत्रों से अल्पकालिकसंविदा के आधार पर	जो केन्द्रीय सरकार में सदृश पदधारण किए हुए हों (या) ऐसे पदधारी जिनके पास नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 (21700- 69100 रू.) में पांच वर्ष का अनुभव हो।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
12. वरिष्ठ सचिवालय सहायक (एसएसए)	* पांच (05)। (2020) * कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग' पद के समतुल्य	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 4 (25500-81100 रु.)	चयन	लागू नहीं होता	-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति जिसके न सकने पर सार्वजनिक या निजी क्षेत्रों से अल्पकालिकसंविदा के आधार पर	जो केन्द्रीय सरकार में सदृश पदधारण किए हुए हों (या) ऐसे पदधारी जिनके पास नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 (21700- 69100 रू.) में पांच वर्ष का अनुभव हो।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[फा. सं. , पी-23011/4/2007-विप./जीपी]

आशीष चटर्जी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2020

G.S.R. 612(E).—In exercise of the powers conferred by sections 10 and 60 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

CHAPTER – I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Salary, Allowances and Other Conditions of Service of Officers and Employees) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.- These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules:

Provided that these rules shall not apply to the officers and other employees of the Board, who, at the time of commencement of these rules, are holding their respective posts either on deputation or on short-term contract basis.

3. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Act, 2006 (19 of 2006);

(b) "Appointing Authority" means-

(i) Chairperson, in respect of all posts equivalent to Group 'A' posts under the Central Government, recruitment to which are made directly by the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board;

(ii) Secretary, in respect of all posts equivalent to Group 'B' and Group 'C' posts under the Central Government, recruitment to which are made directly by Petroleum and Natural Gas Regulatory Board;

(c) "Disciplinary Authority" means-

(i) Chairperson, in respect of the posts equivalent to Group 'A' specified in serial numbers 1 to 5 in column (1) of the Schedule annexed to these rules:

Provided that in respect of officers on deputation from the Central Government or any State Government or Public Sector Undertaking or autonomous or statutory organisations, the relevant rules or regulations applicable to such categories of employees in their parental organisation shall apply;

(ii) Secretary, in respect of the posts specified in serial numbers 6 to 12 in column (1) of the Schedule annexed to these rules;

Provided that in respect of officers on deputation from the Central Government or any State Government or Private Sector Undertaking or autonomous or statutory organisations, the relevant rules or regulations applicable to such categories of employees in their parental organisation shall apply;

(d) "registered medical practitioner" means a medical practitioner who possess any recognised medical qualification as defined in clause (h) of section 2 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and whose name has been entered in a State Medical Register;

(e) "Schedule" means the Schedule annexed to these rules;

(f) "staff" includes both officers and employees of all categories appointed in the Board whether on whole time basis, on deputation on foreign service terms or permanent absorption or on short term contract basis;

(g) "short term contract basis" means the method of recruitment of persons belonging to non-Governmental organisations from private sector to the Board for a limited period on contract basis.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act, shall have the same meanings as respectively assigned to them under the Act.

CHAPTER – II

SANCTIONED STRENGTH

4. Sanctioned strength of staff of Board – (1) The sanctioned strength of the staff in the Board shall be as approved by the Central Government under sub-section (2) of section 10 of the Act, in different pay scales.

(2) The number of posts, their classification and the level in pay matrix or pay scale attached thereto shall be as specified in the Schedule.

5. Recruitment and appointment.- (1) Appointments against the sanctioned posts in the Board shall be made on deputation basis.

(2) The term of deputation shall be initially for a period of three years, which may be extended for successive terms of one year each for a maximum of two years, at the discretion of the Board in accordance with the general guidelines issued by the Central Government:

Provided that in case the Board comes to a conclusion that the services of any deputationist are no longer required with the Board, such deputationist may be repatriated to his parent Department or organisation even before the completion of his deputation period.

(3) The appointment against the sanctioned posts on contract basis shall be made initially for a period of one year extendable by another two years, one year at a time at the discretion of the Board:

Provided that in case the Board comes to a conclusion that the services of any person on contract are no longer required with the Board, his contract period may be terminated or curtailed at any time without assigning any reason.

CHAPTER III

PAY AND ALLOWANCES

6. Pay fixation.- (1) The pay scale to the posts specified in column (1) of the Schedule shall be as specified in column (4) thereof and the manner of fixation of pay and allowances related to such posts shall be as specified by the Central Government from time to time.

(2) The medical facilities for the said posts shall be admissible in accordance with the provisions of Chapter V.

(3) Other allowances as admissible to the Central Government employees in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time in corresponding pay scales shall accordingly be admissible to officers and staff of the Board:

CHAPTER IV

ANNUAL ASSESSMENTS, DISCIPLINARY PROCEEDINGS AND PENALTIES

7. Confidential reports.- In the matter of the annual confidential reports of staff appointed on deputation in the Board, the instructions issued by the Central Government from time to time as applicable in respect of Central Government employees in corresponding pay scales shall be applicable.

8. Disciplinary proceedings and imposition of penalties.- (1) In the matter of conduct, discipline and imposition of penalties, the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 and the Central Civil Services (Control, Classification and Appeal) Rules, 1965 and the instructions issued by the Central Government from time to time shall be suitably adopted by the Board.

(2) The Disciplinary Authority in respect of each post shall be in terms of clause (c) of rule 3.

CHAPTER V

MEDICAL FACILITIES

9. The officers and employees of the Board specified in the Schedule shall be eligible to get medical treatment for self, dependents and declared members of family as admissible to the Central Government employees in corresponding pay scales.

Explanation.- For the purpose of this rule the expression "family" has the same meaning as assigned to it in the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.

10. Outdoor medical treatment.– (1) The reimbursement of outdoor medical expenses shall be limited to the actual expenses or one month's pay as on 1stJanuary of the year (basic pay plus dearness allowance) whichever is less.

(2) The claim for medical reimbursement shall be supported by prescription of a registered medical practitioner and the original cash memos or bills for treatment and purchase of medicines.

(3) Release of increment or promotion during the year shall not affect the limit as on 1stJanuary of each year.

(4) For officers and employees joining during the year, the annual entitlement shall be restricted on pro-rata basis.

(5) The outdoor treatment shall be taken from the Authorised Medical Attendants from the panel to be maintained by the Board.

11. Indoor Medical Treatment.- (1) For the purpose of indoor treatment, the officers and employees of the Board specified in the Schedule shall be entitled for medical treatment at hospitals authorised as specified in sub-rule (2) and for this purpose, the cost of treatment including hospital accommodation, nursing home facility and other hospital charges shall be as per the provisions of the Central Services (Medical Attendants) Rules,1944 as applicable to the Central Government employees drawing corresponding pay scales.

(2) The authorised hospitals for the purpose of sub-rule (1) shall be the same as are available to the Central Government employees regulated by Central Services (Medical Attendance) Rules 1944.

(3) In case of a Government employee joining the Board on deputation, such employee shall have option to choose either the medical facility under which he was covered while in Government service before joining the Board or the medical facility referred to in sub-rule (1) and (2).

(4) Treatment at authorised hospitals may be taken only on the advice of the Authorised Medical Attendants except in case of emergency.

Chapter VI

OFFICIAL FOREIGN TOURS

12. Official visit abroad by officers and other employees of the Board specified in the Schedule shall be undertaken with the prior approval of the Chairperson or any other Member or officer of Board authorised by the Chairperson.

13. The official visits under rule 12 shall be regulated as per the instructions issued by the Central Government from time to time, in this regard.

Chapter VII

HOUSING OR RESIDENTIAL ACCOMODATION

14. (1) Officers and employees posted to the Board from the Government Departments or Ministries on deputation basis shall be allowed the facility of retention of General Pool Accommodation in terms of the instructions of the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation Directorate of Estates vide O.M. No. 12035/44/92-POL.11, dated the11th October, 2000:

Provided that these officers and employees who are not in possession of general pool accommodation, shall be eligible for house rent allowance at par with the Central Government servants drawing pay in corresponding pay scales.

(2) The officers and employees of the Board shall be governed by the All India Services (House Rent Allowance) Rules, 1977 as are applicable to the employees of the Central Government.

Chapter VIII

MISCELLANEOUS

15. **Provident Fund.-** (1) The officers and employees of the Board appointed on deputation shall continue to be governed by Provident Fund Scheme as are applicable to them in their parent Ministry or Department or Organisation.

(2) The Board shall recover contribution towards provident fund from such officers and employees and remit the amount immediately to the lending Ministry or Department or organisation, as the case may be, and any loss of interest on account of late remittance shall be borne by the Board.

(3) The officers and employees of the Board on deputation from organisation other than the Central Government shall be eligible for pension and retirement benefits, if any, as are available to them in their parent Ministry or Department or organisation;

16. Training.- (1) The officers and employees of the Board may be required to undergo such training as may be decided by the Board.

(2) An officer or employee of the Board charged with misconduct during the period of training may be withdrawn from training and liable for appropriate disciplinary proceedings or penalty, as the appointing authority in the Board may deem fit.

17. **Other conditions of services.–** Other conditions of services of the officers and employees of the Board with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be such as are admissible to officers and employees of the Central Government drawing corresponding pay scales.

18. Power to relax.- If any difficulty arises in the operation of the provisions of any of these rules, the Central Government may relax operation of such provisions.

SCHEDULE

[See rules 3(1) (e), 4 (2), 6 (1), 9, 11 (1) and 12]

Name of post.	No. of post.	Classification.	Level in pay matrix or pay scale.	Whether selection post or non selection post.	Age limit for direct recruit.	Education and other qualification required for direct recruits.	Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promottee.	Period of Probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation / absorption to be made.	In case of recruitment whether by Promotion or Deputation or absorption grade from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. Advisor.	*Four (04) (2020) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group ‘A’ post	Level-14 in the pay matrix (Rs.144200-218200).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation, failing which by short-term contract basis.	Should be holding analogous post in the Central Government (or) should have been holding a post of Joint Secretary to the Government of India or a post equivalent thereto or regular basis with four years experience in the level-13A in pay matrix of Rs.131100-216600 (or) eight years experience in a post in level-13 in the pay matrix of Rs.123100-215900 after appointment thereto on regular basis.	Not applicable.	Not applicable.

2. Joint Advisor.	*Four (04). (2020) *Sub-ject to varia-tion depen-dent on work-load.	Equivalent to Group 'A' Post.	Level-13 in the pay matrix (Rs.123100-215900).	Selection.	Not applica-ble.	-	Not applicable.	Not applica-ble.	Deputation, fail-ing which on short-term con-tract basis from public or private sectors.	Should be holding analogous post in the Central Government (or) holding a post with five years expe-rience in level- 12 in the pay matrix of Rs.78800-209200 on regular basis.	Not applicable.	Not applicable.
3. Deputy Director.	*Four (04). (2020) *Sub-ject to varia-tion depen-dent on work-load.	Equivalent to Group 'A' Post.	Level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700).	Selection.	Not Applicable.	-	Not applicable.	Not applica-ble.	Deputation, fail-ing which on short-term con-tract basis from public or private sectors.	Should be holding analogous post in the Central Government (or) holding a post with five years expe-rience in level- 10 in the pay matrix of Rs.56100-177500 on regular basis.	Not applicable.	Not applicable.
4.Assistant Director.	*Two (02). (2020) *Sub-ject to varia-tion depen-dent on work-load.	Equivalent to Group 'A' Post.	Level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500).	Not appli-cable.	Not Appli-cable.	_	Not applicable.	Not applica-ble.	Deputation, fail-ing which on short-term con-tract basis from public or private sectors.	Should be holding analogous post in the Central Government (or) holding a post with five years expe-rience in level-9 in the pay matrix of Rs.53100-167800 on regular basis.	Not applicable.	Not applicable.
5. Principal Private Secretary.	*One (01). (2020) *Sub-ject to varia-tion depen-dent on work-load.	Equivalent to Group 'A' Post.	Level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100).	Selection.	Not applica-ble.	-	Not applicable.	Not applica-ble.	Deputation, fail-ing which on short-term con-tract basis from. Public or private sectors.	Should be holding analogous post in the Central Government (or) holding a post with five years expe-rience in level-7 in the pay matrix of Rs.44900-142400 on regular basis.	Not applicable.	Not applicable.

6. Private Secretary.	*Nine (09). (2020) *Sub-ject to varia-tion depen-dent on work-load.	Equivalent to Group 'B' Post.	Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400).	Selection.	Not applica-ble.	-	Not applicable.	Not applica-ble.	Deputation, fail-ing which on short-term con-tract basis from public or private sectors	Should be holding analogous post in the Central Government (or) holding a post with five years expe-rience in level-5 in the pay matrix of Rs.29200-92300 on regular basis.	Not applicable.	Not applicable.
7. Bench Officer.	*One (01). (2020) *Sub-ject to varia-tion depen-dent on work-load.	Equivalent to Group 'B' Post.	Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400).	Selection.	Not applica-ble.	-	Not applicable.	Not applica-ble.	Deputation, fail-ing which on short-term con-tract basis from public or private sectors.	Should be holding analogous post in the Central Government (or) holding a post with five years expe-rience in level-5 in the pay matrix of Rs.29200-92300 on regular basis.	Not applicable.	Not applicable.
8. Account-ant.	*One (01). (2020) *Sub-ject to varia-tion depen-dent on work-load.	Equivalent to Group 'B' Post.	Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400).	Selection.	Not applica-ble.	-	Not applicable.	Not applica-ble.	Deputation, fail-ing which on short-term con-tract basis from public or private sectors	Should be holding analogous post in the Central Government (or) holding a post with five years expe-rience in level-5 in the pay matrix of Rs.29200-92300 on regular basis.	Not applicable.	Not applicable.
9. Personal Assistant.	*Six (06). (2020) *Sub-ject to varia-tion depen-dent on work-load.	Equivalent to Group 'B' Post.	Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400).	Selection.	Not applica-ble.	-	Not applicable.	Not applica-ble.	Deputation, fail-ing which on short-term con-tract basis from public or private sectors.	Should be holding analogous post in the Central Government (or) holding a post with five years expe-rience in level-5 in the pay matrix of Rs.29200-92300 on regular basis.	Not applicable.	Not applicable.

10. Cashier.	*One (01). (2020) *Sub-ject to varia-tion depen-dent on work-load.	Equivalent to Group 'C' Post.	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).	Selection.	Not applica-ble.	-	Not applicable.	Not applica-ble.	Deputation, fail-ing which on short-term con-tract basis from public or private sectors.	Should be holding analogous post in the Central Government (or) holding a post with five years expe-rience in level-3 in the pay matrix of Rs.21700-69100 on regular basis.	Not applicable.	Not applicable.
11. Assis-tant-Cum-Data Entry Opera-tor.	*Six (06). (2020) *Sub-ject to varia-tion depen-dent on work-load.	Equivalent to Group 'C' Post.	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).	Selection.	Not applica-ble.	-	Not applicable.	Not applica-ble.	Deputation, fail-ing which on short-term con-tract basis from public or private sectors.	Should be holding analogous post in the Central Government (or) holding a post with five years expe-rience in level-3 in the pay matrix of Rs.21700-69100 on regular basis.	Not applicable.	Not applicable.
12. Senior Secretariat Assistant (SSA).	*Five (05). (2020) *Sub-ject to varia-tion depen-dent on work-load.	Equivalent to Group 'C' Post.	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).	Selection.	Not applica-ble.	-	Not applicable.	Not applica-ble.	Deputation, fail-ing which on short-term con-tract basis from public or private sectors.	Should be holding analogous post in the Central Government (or) holding a post with five years expe-rience in level-3 in the pay matrix of Rs.21700-69100 on regular basis.	Not applicable.	Not applicable.

[F. No P-23011/4/2007-Mkt/GP]

ASHISH CHATTERJEE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.